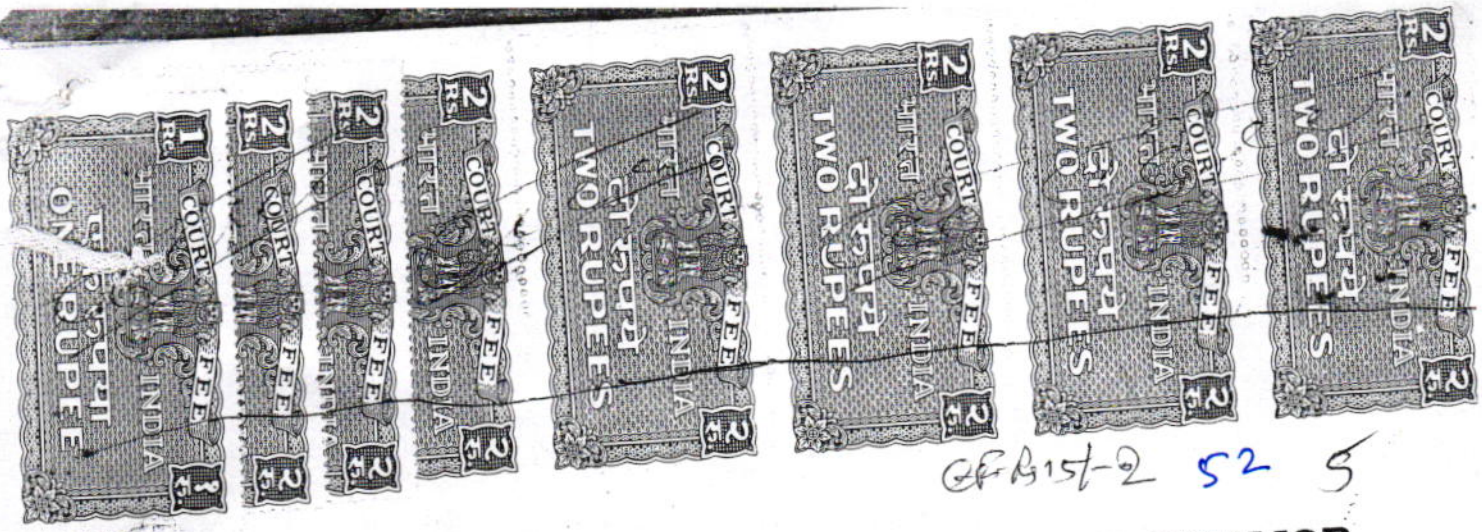

IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE M.P. GWALIOR

Code No.: /2005/Second Appeal

A 69-I/2005

1. Sh. Nankee Nayak
2. Sh. Udia Nayak
3. Sh. Balua Nayak

All Son of Sh. Ghasi Nayak all resident Village Kathari Tehsil Souhagpur Distt. Shahdol (M.P.)

....Appellants

Versus

Shekh Dildar S/o Nabib Village Kathari Tehsil Souhagpur Distt. Shahdol (M.P.)

....Respondent

SECOND APPEAL U/S 44 (2) MPLR 1959 AGAINST THE ORDER DATED 11.10.2004 PASSED BY COMMISSIONER, REWA IN REVENUE CASE NO. 90/APPEAL/2002-03 WHEREBY THE CONFIRMED ORDER DATED 20.11.2002 OF COLELCTOR SHAHDOL IN CASE NO. 1/ब-74/2002-2003 ARISING OUT OF THE REPORT DATED 11.3.97 SUBMITTED BY THE SUPERINTENDENT OF LAND RECORDS WITH REGARD TO IN CORRECT MAP.

May it please your honour ,

The appellants most respectfully begs to submit as under:-

Appeal is being within time on the following grounds :-

1. that, the impugned order lacks the proper reasoning and is arbitrary in nature.
2. that, the learned lower court has failed to appreciate the ... of the appellants. Every correction of the entry or in

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 69–एक/05 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.7.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 90/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 11.10.04 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक शेख दिलदार निवासी ग्राम कटहरी द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का कलेक्टर जिला शहडोल को प्रस्तुत किया कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के दौरान ग्राम कटहरी की उसके स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 155 रकवा 23.72 एकड़ अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 163 रकवा 3.00 एकड़ के नक्शे की तरमीम में त्रुटि की गई है। अतः सुधार किया जावे। उपरोक्त आवेदन पत्र पर अधीक्षक–भू अभिलेख से जांच प्श्चात प्रतिवेदन बुलाया गया। अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 11.3.97 में प्रतिवेदति किया कि पक्षकरों द्वारा स्थल पर किये गये कब्जे के अनुरूप उनकी भूमि की सीमा नक्शे में नहीं दर्शाई गई है। कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शे में सुधार करने का आदेश	

दिया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 11.10.2004 को आदेश पारित करते हुये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा। उससे दुखी होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3-अपीलार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि नक्शा सुधार आवेदन पत्र को सुनने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। पूर्व में नक्शा सुधार किया गया था और उभयपक्ष ने सीमांकन कराया था। अधिकार अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। किन्तु अनावेदक ने कोई अपील नहीं की । अंत में उनके द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4-अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत जांच पश्चात ही उक्त आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं है। उनके द्वारा अपील निरस्त करने का निवेदन किया है।

5- उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अभिलेख देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा समक्ष में आवेदन प्राप्त कर विधिवत अधीक्षक भू-अभिलेख से जांच कराई गई एवं जांच उपरांत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर

देते हुये आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर के आदेश में एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य